रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 299] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 1973/भाद्र 10, 1895
No. 299] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 1973/BHADRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September 1973

S.O. 456(E).—In pursuance of clause 4 of the Synthetic Rubber (Price Control) Order, 1969, the Central Government hereby fixes the sale prices of Synthetic Rubber, with immediate effect, as follows:—

1.	Synthetic Rubber Grades S-1500 and 1502	Rs. 41.71 per ten kilograms
2.	Oil Extended Synthetic Rubber Grade S-1712	Rs. 36.71 per ten kilograms
3.	Synthetic Rubber Grades-1958.	Rs. 56.67 per ten kilograms

(The above prices include selling commission but are exclusive of excise duty and other levies.)

2. This notification shall be in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Petroleum and Chemicals), No. S.O. 4923, dated the 16th December, 1969.

[No. 5(8)/71-Ch. I.]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1973

का० आ० 456(अ).—(संश्लिष्ट रबर मूल्य नियंत्रण), आदेश, 1969 के धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा संश्लिष्ट रबर का विक्रय मूल्य, जो तत्काल लागू होगा, निम्नलिखित रूप में नियत करती है :—

1	संश्लिष्ट रबर ग्रेड० एस० 1500 एवं 1502	रु० 41.71 प्रति 10 किलोग्राम
2	आयल एक्सटेंडेड संश्लिष्ट रबर ग्रेड एस० 1712	रु० 36.71 प्रति 10 किलोग्राम
3	संश्लिष्ट रबर ग्रेड एस० 1958	रु० 56.67 प्रति 10 किलोग्राम

(उपरोक्त मूल्यों में विक्रय कमीशन सम्मिलित हैं किन्तु उत्पादन शुल्क एवं अन्य उद्ग्रहणों सम्मिलित नहीं हैं)

2. यह अधिसूचना भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय (पैट्रोलियम और रसायन विभाग) के अधिसूचना संख्या का० आ० 4923, दिनांक 16 सितम्बर, 1969 के अतिक्रमण में होगी ।

[संख्या (8)71—के० मी०—1]

ORDER

New Delhi, the 1st September 1973

S.O. 457(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to amend the Synthetic Rubber (Price Control) Order, 1969, namely:—

1. (1) This Order may be called the Synthetic Rubber (Price Control) Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Synthetic Rubber (Price Control) Order, 1969, after paragraph 6, the following paragraph shall be inserted namely:—

"6A. Every manufacturer shall prominently mark on each package of synthetic rubber the grade of material contained in that package."

[No. F. 5(8)/71-Ch. I.]

VINOD KUMAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1973

एस० ओ० 457(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संश्लिष्ट रबर (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1969 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम संश्लिष्ट रबर (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2 संश्लिष्ट रबर (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1969 में, पैरा 6 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6क. प्रत्येक विनिर्माता संश्लिष्ट रबर के प्रत्येक पैकेज पर उस पैकेज में अन्तर्विष्ट की श्रेणी स्पष्ट रूप से चिन्हित करेगा ।"

[स० फा० 5(8)/71—सी०एच०-1]

विनोद कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973